उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 77/2023/869/छप्पन-2023-56-1001(001)/1/2023
लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई, 2023

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के परिचालन इकाई के अन्तर्गत को-पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कार्यरत श्री पवन गुप्ता को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-69/2021/1418/छप्पन-2021-23/2017 दिनांक 26 जुलाई, 2021 द्वारा रू0 4,00,000/-(रूपए चार लाख मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 02 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री पवन गुप्ता द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2021 को को-पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। तत्क्रम में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा पत्र संख्या-59/ना0उ0नि0/ व्य0पत्रा0/2023 दिनांक 21 जून, 2023 के द्वारा को-पायलट के पद पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ श्री पवन गुप्ता की संविदा सेवा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रूपए 4,20,000.00 (रूपये चार लाख बीस हजार मात्र) एवं शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर दिनांक 28 जुलाई, 2023 से अग्रेत्तर 05 वर्ष अर्थात दिनांक 27 जुलाई, 2028 तक के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की परिचालन इकाई के अन्तर्गत को-पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर कार्यरत श्री पवन गुप्ता की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रूपए 4,20,000.00 (रूपये चार लाख बीस हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2011-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर दिनांक 28 जुलाई, 2023 से आगामी 05 वर्ष (अर्थात 27 जुलाई, 2028 तक) के लिए बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री पवन गुप्ता की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

4- श्री पवन गुप्ता से संविदा सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित कर शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जाएगा।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव

2/--

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 77/2023/869(1)/छप्पन-2023-1001(001)/1/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री पवन गुप्ता, को-पायलट (फिक्स्ड विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री पवन गुप्ता, को-पायलट (फिक्स्ड विंग), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।